(वाद सं0–5788/4/26/2020)

19.04.2022

परिवादी, संजय कुमार वर्मा, उपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, श्री साई हॉस्पीटल, मलाही पकड़ी, कंकड़बाग के अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सकों, कर्मचारियों द्वारा जान–बूझकर, परिवादी, संजय कुमार वर्मा की माता, संध्या वर्मा की ईलाज में लापरवाही बरतने एवं ईलाज में अनावश्यक विलंब करने के कारण मृत्युकारित करने से संबंधित है।

उपरोक्त पर सिविल सर्जन, पटना से प्रतिवेदन की माँग की गई। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित चिकित्सा पदाधिकारी, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के प्रतिवेदनानुसार "परिवादी की माँ, श्रीमति संध्या वर्मा, उम्र–75 वर्ष को सदर अस्पताल, मुंगेर से बेहतर ईलाज हेतु IGIC, पटना में Refer किया गया था उसके पश्चात मरीज को श्री साई हॉस्पिटल, कार्डियो, मलाही पकड़ी, पटना में भर्ती कराया गया।

अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज (Patient file) के अनुसार मरीज को दिनांक–22.08.2020 देर रात 10:30 बजे भर्ती कराया गया। उस वक्त, मरीज की स्थिती गंभीर थी। Unconscious with Gasping Respiration, pulse – Feeble, BP- Not-recordable, Pupil- B/L Dilated)

जांच उपरांत पाया गया की पंजीकरण आदि क्रियाकलापों के क्रम में भी मरीज का ईलाज अस्पताल के चिकित्सक द्वारा किया जाता रहा है।"

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा सिविल सर्जन के प्रतिवेदन का प्रतिवाद कर संबंधित

अस्पताल में लगे सी0सी0टी0वी0 फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर उसके मामले पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

प्रसंगाधीन मामला, एक निजी अस्पताल में तथाकथित लापरवाही से हुई मृत्यु से संबंधित है, जिसके संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण फोरम को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि सक्षम उपभोक्ता संरक्षण फोरम के समक्ष विधि अनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक